[कार्]यालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

[मुकदमा नं]ह

.... तारीख रजू........................

यादराम **बनाम** फूलसिंह वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/7/18	वकील प्रार्थी उपस्थित। स्टे प्रार्थना पत्र 212 RTAct वकील प्रार्थी ने पेश किया। उक्त पत्रिका हो प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व संलग्न पत्रादि का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो खसरा नं० 269, 270, 271, 272 वाके ग्राम पीपलखेड़ा तह० कठूमर के रिकार्ड एवं मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावे। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश की पालना में कोई उज्र हो तो दिनांक 10/8/18 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को कायम रखा जावे तक जारी रखा जावे। अप्रार्थीगण को नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 10/8/18 को पेश हो। SD उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

अहकाम हुक्म की तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/5/22	मुताबिक [illegible] P.O. साहब अति. कार्य. [illegible] पत्रावली दिनांक 3/6/22 को पेश हो।	
3/6/22	[illegible] ..... उपस्थित [illegible] [illegible] गौरलानी दिनांक 12/7/22 को पेश हो [illegible]	
12/7/22	मुताबिक [illegible] P.O. साहब अति. कार्य. [illegible] पत्रावली दिनांक 13/9/22 को पेश हो।	
13/9/22	पत्रावली पेश हुई वकील अपना प्रतिवादी सिरमा 8 से 12 व 17 से 30 तामील शुदा [illegible] नहीं आये उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस TI दिनांक 18/10/22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	
18.10.22	वकील उभय पत्रावली पर बहस सुनी आदेश हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया अतः वादी को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली पर जारी किये आदेश दिनांक 27.7.2018 मूल वाद के निस्तारण तक कायम किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० सि० किया। पत्रावली मौजूदा शुमार होकर नत्थी हो वाद हजा मूल वाद के साथ शामिल रहे। हुक्म उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	

/

/

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2 / 105 / 2018

वउनवान

1. यादराम पुत्र रघुवीर जाति गुर्जर निवासी पीपलखेडा तहसील कठूमर जिला अलवर

------ सायल

बनाम

1. फूलसिंह पुत्र शिवलाल जाति माली निवासी पीपलखेडा
2. नवलकिशोर पुत्र शिवलाल जाति माली निवासी पीपलखेडा
3. हेमराज पुत्र शिवलाल जाति माली निवासी पीपलखेडा
4. राजवती पुत्री पूरन जाति माली निवासी पीपलखेडा
5. अनीता पुत्री पूरन जाति माली निवासी पीपलखेडा
6. सन्ता पत्नी पूरन जाति माली निवासी पीपलखेडा
7. राजपाल पुत्र मवासी जाति माली निवासी पीपलखेडा
8. भागीरथ पुत्र रामस्वरूप जाति माली निवासी पीपलखेडा
9. नन्दकिशोर पुत्र रामस्वरूप जाति माली निवासी पीपलखेडा
10. रघुवीर पुत्र रामस्वरूप जाति माली निवासी पीपलखेडा
11. नन्दराम पुत्र रामस्वरूप जाति माली निवासी पीपलखेडा
12. भीमसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति माली निवासी पीपलखेडा
13. गुलकन्दी पत्नी हरसी उर्फ हरीसिंह जाति माली निवासी पीपलखेडा
14. किशन पुत्र हरसी उर्फ हरीसिंह जाति माली निवासी पीपलखेडा
15. कन्हैया पुत्र हरसी उर्फ हरीसिंह जाति माली निवासी पीपलखेडा
16. किशोर पुत्र हरसी उर्फ हरीसिंह जाति माली निवासी पीपलखेडा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

17.मुकेश पुत्र हरसी उर्फ हरीसिंह जाति माली निवासी पीपलखेडा
18.परभाती पुत्र चिरंजी जाति माली निवासी पीपलखेडा
19.शिम्भू पुत्र रतनलाल जाति माली निवासी पीपलखेडा
20.शेरसिंह पुत्र रतनलाल जाति माली निवासी पीपलखेडा
21.दीपचन्द पुत्र रतनलाल जाति माली निवासी पीपलखेडा
22.चन्दा पत्नी रतनलाल जाति माली निवासी पीपलखेडा
23.रामलाल पुत्र नानगा जाति माली निवासी पीपलखेडा
24.गोपाल पुत्र नानगा जाति माली निवासी पीपलखेडा
25.भवानीसिंह पुत्र रामहेत जाति माली निवासी पीपलखेडा
26.पांची पत्नी रामहेत जाति माली निवासी पीपलखेडा
27.रामस्वरूप पुत्र मगतू जाति माली निवासी पीपलखेडा
28.रमेश पुत्र मंगतू जाति माली निवासी पीपलखेडा
29.रामचरण पुत्र मंगतू जाति माली निवासी पीपलखेडा
तहसील कठूमर जिला अलवर
30.उप पंजीयक कठूमर

---- गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री कृपादयाल गुर्जर –अधिवक्ता वादी की ओर से

आदेश

दिनांक 18 .10.2022

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 269 रकवा 0.06 हे. 270 रकवा 0.06 हे. 271 रकवा 0.10 हे. 272 रकवा 0.20 हे. ग्राम पीपलखेडा तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में सायल एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। लेकिन उक्त आराजी का आज से करीब 25–30 सल पहले सायल एंव गैरसायलान ने आपसी सहमति से व स्वेच्छा से अपनी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

अपनी सुविधानुसार मौका एंव कब्जा के अनुसार घरू वंटवारा कर लिया जिस घरू वंटवारा में आराजी खसरा नम्बर 271 रकवा 0.10 हे. सायल के हक हिस्सा व कब्जे में आया था। जिस पर वाद घरू वंटवारा से सायल काविज रहकर काश्त रहा है व आज भी सायल का उक्त रकवा पर कब्जा है। सायल ने उक्त आराजी को वाद घरू वंटवारा अच्छी किस्म के खाद वीज डालकर अधिक उपजाउ बना लिया है। गैरसायलान ने अपने हक हिस्सा की आराजी खसरा नम्बर 270 में रिहाइयसी मकान बनाकर रिहायस करली है। लेकिन गैरसायलान अव उक्त घरू वंटवारा को मानने को तैयार नहीं है। सायल के हक हिस्सा व घरेलु वटवारा में आई आराजी खसरा नम्बर 271 रकवा 0.10 हे. पर सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है झगडा करते है उक्त आराजी से वेदखल करना चाहते है।

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। दिनांक 11.02.2021 को गैरसायल सं0 1 ला0 7 व 13 ला0 16 की ओर से श्री धनश्याम शर्मा एडवोकेट ने बास्ते पैरवी मुकदमा बकालतनामा पेश किया। शेष की तलवी जरिये कराई गई। दिनांक 13.09. 2022 को गैरसायल संख्या 8 से 12 स्वंय व गैरसायल सं0 17 से 31 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 प्रदर्श–2 जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 प्रदर्श–3 जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 वाके ग्राम पीपलखेडा की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायल की एकपक्षिय वहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। जमाबन्दी में विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

की शामलात खातेदारी में दर्ज है। सायल का कथन है कि विवादित आराजी का अर्सा करीब 25–30 साल पहले घरू वंटवारा हो गया था जिस मुताविक खसरा नम्बर 271 रकवा 0.10 हे. सायल के हक हिस्सा व कब्जे में आया था उसी समय से सायल उक्त आराजी पर काविज है। उक्त आराजी के कब्जे का त में गैरसायलान मुझसे झगडा करते है व जवरन वेदखल कर कब्जा करने की धमकी देते है। गैरसायलान को पाबन्द किया जावे। हमने पत्रावली के तथ्यो प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। गैरसायलान बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से विवादित आराजी खसरा नम्बर 271 रकवा 0.10 हे. वाके ग्राम पीपलखेडा पर सायल का कब्जा प्रतीत होता है। यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायलान सायल को उक्त आराजी से वेदखल कर सकते है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान क्षति या असुविध होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में सावित है। अतः प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 271 रकवा 0.10 हे. वाके ग्राम पीपलखेडा तहसील कठूमर में सायल के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करें। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 27.07.2018 मूल वाद के निस्तारण तक कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो-वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

लाखनसिंह गुर्जर

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०

आज दिनांक 18.10.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०